छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार,दिनांक 23 जुलाई, 2024 (श्रावण 1,1946)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह), कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का ग्यारहवां वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2021–2022 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री श्याम बिहारी जायसवाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2022–23 (दिनांक 01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023 तक) पटल पर रखेंगे।

(4) श्री दयालदास बघेल, खाद्य मंत्री, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2021–2022 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(6) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष (2022–23) पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री राजेश मूणत, सदस्य, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बिना निविदा एवं कार्यादेश के टी–शर्ट एवं टोपी की खरीदी किये जाने की ओर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य, प्रदेश की आंगनबाड़ी केन्द्रों में रेडी टू ईट वितरण का सुचारू रूप से संचालन नहीं किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, बिल्हा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) तिफरा मन्नाडोल में माध्यमिक शाला खोलने,

(ii) ग्राम अमलीडीही के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(iii) ग्राम त्रिभुवनपुर से बदरा (ब) तक मार्ग की मरम्मत एवं नवीनीकरण करने,

(iv) ग्राम चंदली से परसिया तक मार्ग की मरम्मत एवं नवीनीकरण करने,

(v) ग्राम छिंदभोग से ढोढापुर तक मार्ग की मरम्मत एवं नवीनीकरण करने,

(vi) ग्राम अमलडीहा से मुण्डादेवरी तक मार्ग की मरम्मत एवं नवीनीकरण करने,

(2) श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, जिला–धमतरी अंतर्गत –

(i) ग्राम जी–जामगांव में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने,

(ii) ग्राम बगदेही में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(iii) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स प्रारंभ करने,

(iv) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरूद में बैचलर ऑफ लाईब्रेरी साइंस कोर्स प्रारंभ करने,

(v) ग्राम करेलीबड़ी में महाविद्यालय खोलने,

(vi) ग्राम परेवाडीह में पैरी नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(vii) ग्राम नवांगांव (उ) से जोरातराई (नवीन) तक सड़क निर्माण करने तथा

(viii) ग्राम चटौद में आबादी पट्टा वितरण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

क्रमशः 3

5. वित्तीय वर्ष 2024–2025 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 55, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 79 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **सात हजार तीन सौ उनतीस करोड़, पैंतीस लाख, बांसठ हजार, सात सौ रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

3 घंटे

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–3) विधेयक, 2024 (क्रमांक 7 सन् 2024) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

दिनेश शर्मा,
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 22 जुलाई, 2024